# BULANDSHAHR POLICE

**दिनाँक 21 नवम्बर, 2023** | CRACKDOWN BULANDSHAHR | **थाना स्याना**

**थाना स्याना पुलिस की बाइक सवार बदमाश से हुई मुठभेड़, क्रॉस फायरिंग में गैंगस्टर में वांछित 10,000/- रुपये का इनामिया अपराधी घायलावस्था में गिरफ्तार, कब्जे से अवैध असलहा, कारतूस व बाइक बरामद।**

जनपद मे तलाश वांछित अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत दिनांक 21-11-2023 की रात्रि में थाना स्याना पुलिस टीम सराय चौकी पर संदिग्ध वाहन/व्यक्तियों की चैकिंग में मामूर थी कि कुछ समय पश्चात सराय चौकी से आगे नहर की पुलिया पर गढ़ की तरफ से एक संदिग्ध बाइक आती दिखायी दी जिसको रूकने का इशारा किया गया तो बाइक सवार बदमाश बाइक मोड़कर तेज गति से भागने लगा। पुलिस टीम द्वारा बदमाश का पीछा किया गया तो बाइक सवार द्वारा बाइक को तेजी से सिभांवली नहर की पटरी से ग्राम घनसूलपुर जाने वाले कच्चे रास्ते पर उसकी बाइक फिसलकर गिर गई। बदमाश द्वारा अपने आपको पुलिस से घिरता देख पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गई। आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग में बदमाश गोली लगने से घायल हो गया, जिसको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार/घायल बदमाश की पहचान सिकन्दर उर्फ हसमुद्दीन पुत्र इस्लाम उर्फ मौ0 सलीम निवासी पट्टी हजार गद्दू पाडा कस्बा व थाना स्याना जनपद बुलन्दशहर के रूप में हुई हैं। जिसको उपचार हेतु सीएचसी स्याना में भर्ती कराया गया। बदमाश के कब्जे से अवैध असलहा, कारतूस व एक चोरी की स्प्लेन्डर बाइक बरामद हुई है। उल्लेखनीय है कि बदमाश सिकन्दर उर्फ हसमुद्दीन शातिर किस्म का लुटेरा अपराधी है जो थाना जहाँगीरपुर पर पंजीकृत मुअसं-95/23 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहा था। जिसकी गिरफ्तारी पर 10,000/- रुपये का पुरस्कार घोषित हैं। अभियुक्त उपरोक्त की गिरफ्तारी के सम्बंध में म0उ0नि0 श्रीमती आरती यादव का महत्वपूर्ण योगदान रहा जो महिला सशक्तिकरण का उदाहरण है।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-**

1- सिकन्दर उर्फ हसमुद्दीन पुत्र इस्लाम उर्फ मौ0 सलीम निवासी पट्टी हजार गद्दू पाडा कस्बा व थाना स्याना जनपद बुलन्दशहर।

**बरामदगी-**

1- 01 चोरी की काले रंग की स्प्लेन्डर बाइक (यूपी-14-डीबी-7293)

2- 01 तमंचा 315 बोर मय 01 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस।

**अभियुक्त सिकन्दर उर्फ हसमुद्दीन का आपराधिक इतिहास-**

1- मुअसं-126/11 धारा 457/380/411 भादवि थाना स्याना जनपद बुलन्दशहर।

2- मुअसं-176/11 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना स्याना जनपद बुलन्दशहर।

3- मुअसं-30/23 धारा 395/506/412 भादवि थाना जहांगीरपुर जनपद बुलन्दशहर।

4- मुअसं-95/23 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना जहांगीरपुर जनपद बुलन्दशहर।

अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना स्याना पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

**थाना स्याना पुलिस टीम-**

1. श्री शैलेन्द्र प्रताप सिंह निरीक्षक थाना स्याना।
2. उ0नि0 मोहित कुमार, म0उ0नि0 श्रीमती आरती यादव।
3. है0का0 मनीष कुमार, का0 नरेन्द्र कुमार, का0 रूप सिंह

**मीडिया सेल बुलंदशहर**